

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक / वि.स./स्था./2019 रायपुर, दिनांक / /

// कार्यालय आदेश //

सचिवालयीन कार्यालय आदेश क्रमांक 9537/वि.स./स्था./2019, दिनांक 04/09/2019 के तारतम्य में समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि परिवर्द्धित परिपत्र में ऐसे सुसंगत बिन्दु जिनकी पूर्ति सेवा पुस्तिका से की जानी है, उन बिन्दुओं की पूर्ति स्थापना शाखा द्वारा स्वयं की जावेगी। अन्य बिन्दुओं की पूर्ति सर्व संबंधित स्वयं करें। सेवा पुस्तिका सेवा अभिलेख उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

कार्यालय आदेश में आनलाईन कर्मचारी डाटाबेस में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में तारांकित (सरल क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,11) में उल्लेखित दस्तावेजों की पूर्ति अनिवार्य सर्व संबंधित स्वयं करेंगे।

आदेश से,



सचिव


छत्तीसगढ़ विधान सभा

पू.क्रमांक <sup>9704</sup> / वि.स./स्था./2019

रायपुर, दिनांक 9/9/2019

प्रतिलिपि

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेताप्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेताप्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सचिव को सचिव महोदय के सूचनार्थ
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. सर्वर कक्ष।

  
संचालक

छत्तीसगढ़ विधानसभा